SHREE RADHE KRISHNAEDUCATIONAL TRUST

Add.- Kaptan Colony, Infront of Digamber Hospital, Near Reserve police Line
Bharatpur, (Raj.)321001
Mo. 8058952637 Email:- srkcbtp@gmail.com

आज दिनांक 21.8.23 प्रातः 10 बजे समस्त अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित हुए एवं संस्था द्वारा निर्धारित बिन्दुओ पर विचार किया गया

सभा की अध्यक्षता श्री रवि कुन्तल द्वारा की गई

1. लैब संचालित करने के कम में :– संस्था की सचिव भारती कुमारी ने लैब संचालन करने का प्रस्ताव सभा में रखा एवं लैब का नाम एस.आर.के. लैब एण्ड डायनोस्टिक सेन्टर रखने का प्रस्ताव रखा जिस पर सभी विचार विर्मश के उपरान्त सभी सदस्य एवं पदाधिकारी द्वारा एकमत होकर प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
2. लैब रजिस्ट्रेशन के कम में:– संस्था की सचिव महोदय ने लैब रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव रखा है उसे सभी पदाधिकारी एवं सदस्यो ने एकमत होकर स्वीकृति दी एवं इस कार्य के लिए तुरन्त करने के लिए कहाँ

समस्त उपस्थित पदाधिकारीयो एवं स्दस्यगणो को संस्था द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई एवं सभी का आभार अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किया गया ।

1. रवि कुन्तल (अध्यक्ष) Ravi
2. कु. भारती (सचिव) Bharati
3. श्रीमति विमलेश (कोषाध्यक्ष) विमलेश
4. नितेश कुमार (सदस्य)
5. प्रहलाद सिंह (सदस्य) प्रहलाद सिंह
6. प्रहलाद कुमार (सदस्य) P.Kumar

अध्यक्ष
श्री राधे कृष्णा एजूकेशनल ट्रस्ट
भरतपुर (राज.)

SHREE RADHE KRISHNAEDUCATIONAL TRUST

Add.- Kaptan Colony, Infront of Digamber Hospital, Near Reserve police Line

Bharatpur , (Raj.)321001

Mo. 8058952637 Email:- srkcbtp@gmail.com

समस्त सदस्य एवं पदाधिकारीयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21.08.23 को एक सभा का आयोजन संस्था के रजिस्टर्ड कार्यालय कप्तान कॉलोनी दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास किया जायेगा। अतः सभी अबगत है सभा का समय प्रातः 10 बजे रहेगा।

बैठक मे उपस्थित सदस्य एवं पदाधिकारियो द्वारा निम्न विन्दुओ पर विचार किया जायेगा

1. लैब संचालित करने के कम में।
2. एवं लैब रजिस्ट्रेशन के कम में।

1. रवि कुन्तल (अध्यक्ष) Ravi
2. कु. भारती (सचिव) Bharati
3. श्रीमति विमलेश (कोषाध्यक्ष) विमलेश
4. नितेश कुमार (सदस्य)
5. प्रहलाद सिंह (सदस्य) प्रहलाद सिंह
6. प्रहलाद कुमार (सदस्य)

अध्यक्ष
श्री राधे कृष्णा एजूकेशनल ट्रस्ट
भरतपुर (राज.)

S.R.K LAB & DIAGNOSTIC CENTER

(A UNIT OF SHREE RADHE KRISHNAEDUCATIONAL TRUST , BHARATPUR)

Add.- Kaptan Colony Near Reserve police Line Bharatpur , (Raj.)321001

Mo. 8058952637 Email:- srkcbtp@gmail.com

Adequacy: Name of the entry level laboratory

We wanted the Name of the laboratory on the Certificate as mentioned below:

M/s. S.R.K Lab & Diagnostic Center (A unit of Shree Radhe Krishna Educational Trust)

Signature of Authorized Signatory
(PRESIDENT)
Designation / Status
Bharatpur

Authorised Signatory
SRK Lab & Diagnostic Centre
Run By
S.R.K. Educational Trust
Bharatpur

SHREE RADHE KRISHNAEDUCATIONAL TRUST
Add.- Kaptan Colony, Infront of Digamber Hospital, Near Reserve police Line Bharatpur , (Raj.)321001
Mo. 8058952637 Email:- srkcbtp@gmail.com

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to inform that M/s. S.R.K Lab & Diagnostic Center, Add.- Kaptan Colony Near Reserve police Line Bharatpur , (Raj.)321001 is a unit of Shree Radhe Krishna Educational Trust , bharatpur

Clinical Establishment Number:
Bharatpur/Lab/2023/113

BMW Authorization Letter Number:
BMW/2023-2024/ Bharatpur /BMW/23

Signature of Authorized Signatory
(PRESIDENT)
Designation / Status
Bharatpur

Authorised Signatory
SRK Lab & Diagnostic Centre
Run By
S.R.K. Educational Trust
Bharatpur

Ph. No. – 05644- 224131, 223660
राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भरतपुर (राज.)

(नियम 6 देखिए)

नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनंतिम प्रमाण–पत्र

अनंतिम प्रमाण पत्र सं. :–भरतपुर / लैब / 2023 / 113

जारीकरने की तारीख :–05 / 09 / 2023

05 / 09 / 2024 तक मान्य

1. नैदानिकस्थापन का नाम :–S R K Lab And Diagnostic Centre
   (श्री राधे कृष्णा एजूकेशनल ट्रस्ट)
2. पता :–कप्तानकॉलोनी, रिर्जव पुलिस लाईन के पास, भरतपुर
3. नैदानिकस्थापन का स्वामी :–रवि कुन्तल
4. भारसाधकव्यक्ति का नाम :–डॉ आकाश योगी
5. औशध की पद्धति :–ऐलोपैथी
6. स्थापना का प्रकार :–प्राईवेट लैबोरेट्री एवं

को नैदानिक स्थापन 2010 (रजिस्ट्रीकरणऔरविनियम) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के अधीन इसके द्वारा, अंनतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

यह प्रधिकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरणऔरविनियम) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के अधीन प्रवृत्त नियमों में यथा–विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीनहै।

तरीख :– 05 / 09 / 2023

स्थान :–भरतपुर

डिस्पैचनं. :– 5020

(डॉ0 लक्ष्मण सिंह)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भरतपुर (राज0)

28-12-2023 07:19:11
27.2133028
77.5100760

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Registered

F(BMW)/Bharatpur(Bharatpur)/7225(1)/2023-2024/730-731 Date: 20/09/2023

Unit Id : 129105

FORM IV
(SEE Rule 10 of BMW Rules, 2016)

(Authorization for operating a facility for Collection, Disposal, Generation, Reception of Biomedical Wastes)

1 Authorization Letter No. BMW/2023-2024/Bharatpur/BMW/23.

2 **Ravi Kuntal, CH Shree Radhe Krishna Educational Trust of M/s. S.R.K Lab & Diagnostic Center is hereby granted an authorization under Rule 10 of Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules, 2016 (BMW Rules,2016) to operate a facility for Collection, Disposal, Generation, Reception of biomedical waste on the premisses situated at Kaptan Colony Near Reserve Police Line,, BHARATPUR, Tehsil Bharatpur, District Bharatpur.**

3 This authorization is valid till it is cancelled /revoked by the Competent Authority.

4 This authorization is valid for operation of the Laboratory with 0 (zero) number of beds.

5 This authorization is subject to the conditions contained in enclosed annexure and to such other conditions/guidlines as may be specified under BMW Rules, 2016 by Central Pollution Control Board, Delhi or Ministry of Environment & Forests(MoEF), Government of India (GOI) or Department of Environment (DOE), Government of Rajasthan (GOR).

6 Segregation, packing, transportation, storage, treatment & disposal of Bio-medical waste shall be in accordance with Rule 7 & 8 of BMW Rules, 2016. The bio medical waste shall be disposed of at Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facility (CBMWTDF) established for the area viz M/s. S.R.K Lab Diagnostic Center.

7 The mercury bearing waste arising due to breakage of thermometers,pressure gauges and other instruments is not to be treated as bio-medical waste or ' other solid waste.The mercury bearing waste is to be segregated, collected , stored and disposed in accordance with the provisions of Hazardous Waste and other wastes
(Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

8 The Annual report in accordance with Rule 13 for the period 1st January to 31st December of previous year shall be submitted On or before 30th June of every year in form - IV as prescribed in the Rules and the annual report shall also be made available on the web-site of the occupier. Further, all the health care facilities shall develop their website within two years from the date of notification of the BMW Rules,2016, in case not already developed.

Signature valid
Digitally signed by [illegible]esh Kumar
Date: 2023.09.2[illegible] [illegible]:19:42 IST
Reason: [illegible]
Location:

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर खण्ड, भरतपुर

पंजीयन प्रमाण-पत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनिक प्रन्यास, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर के कार्यालय में आज के दिन यथावत रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

सार्वजनिक प्रन्यास का नाम श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने पुलिस लाइन के पास भरतपुर (राज०)

सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या 08/भरतपुर/2022

प्रमाण पत्र "अध्यक्ष पदनाम" .... को जारी किया गया।

मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25 मई .... माह सन् 2022 .... को दिया गया।

गोल मोहर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
भरतपुर खण्ड, भरतपुर

प्रपत्र संख्या 0

(देखिये नियम 17(3))

श्रीमान सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, भरतपुर
प्रदेश राजस्थान

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0) लोक न्यास के सम्बन्ध में।

मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली डूंगरा, ग्राम सौंख देहात जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0) जो उपयुक्त सार्वजनिक प्रन्यास का कार्यवाहक प्रन्यासी अध्यक्ष हूँ। एतद्द्वारा राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत उक्त प्रन्यास के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता हूँ।

मैं निम्नलिखित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता हूँ :–

1. प्रन्यास की उत्पत्ति (जहां तक ज्ञात हो) उसका रूप तथा उसके उद्देश्य और नाम जिससे उक्त प्रन्यास पुकारा जाता है अथवा पुकारा जायेगा, श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0) प्रन्यास की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विधान में दर्ज किया जा रहा है।

2. उक्त लोक प्रन्यास का मुख्य कार्यालय अथवा व्यापार करने का मुख्य स्थान श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)।

3. कार्यवाहक प्रन्यासी तथा प्रबन्धक के नाम तथा पते :–

   1. मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली डूंगरा, ग्राम सौंख देहात जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)

4. प्रन्यासी पद पर उत्तराधिकारी का तरीका – अध्यक्ष पद आजीवन तथा उसके उपरान्त वंशानुगत परम्परा से चुनाव द्वारा।

5. चल सम्पत्ति के ब्यौरे जिसमें उक्त सम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग का अनुमानित मूल्य भी हुआ है :–

नोट :– ऐसी सम्पत्ति के वर्गों के स्थूल विवरण देकर प्रविष्टियां करनी चाहिये जैसे– फर्नीचर, पुस्तकें इत्यादि न कि प्रत्येक वर्ग के लिये पृथक–पृथक रूप से नकद सम्बन्धी प्रविष्ठी केवल तब ही की जानी चाहिये जबकि उक्त नकद प्रन्यास के मूल्यांकन

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, भरतपुर

...ग अंग हो, दस्तावेजों की दशा में प्रत्येक प्रतिभूति स्टाक ( ) शेयर ( ) तथा डिबेन्चर ( ) के उसके नम्बर सहित विवरण दीजिये

6. अचल सम्पत्ति का ब्यौरा जिसमें वह गाँव कस्बा जहाँ वह स्थित है, म्युनिसिपल सर्वे खसरा नम्बर क्षेत्रफल निर्धारित कर (नक्शा संलग्न है।) धारणाधिकार जिसके आधार पर धारित है, का वर्णन भी बताते हुये हो (अधिकार अभिलेख नगर सर्वे अभिलेख या म्यूनिसिपल अभिलेख में सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रविष्ठियों आदि प्राप्त हों, की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ साथ लगाईये। पूर्वजों के काल का राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा सलंग्न है।

(क). प्रत्येक अचल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य –कुछ नही।

(ख). समस्त सम्पत्ति का मूल्य वर्तमान में – कुछ नहीं।

7. आय के अन्य स्त्रोत :– सदस्यों से सदस्यता शुल्क ट्रस्ट की व्यवस्था का संचालन किया जायेगा।

8. औसत वार्षिक सकल आय – कुछ नहीं। वर्तमान में प्रन्यास के पास 1,00,000/– रुपये नगद फंड जमा है।

नोट :– यह उस तारीख से जिसको कि आवेदन पत्र दिया जाये पहली पूर्णमासी तीन वर्ष की अवधि अथवा उक्त प्रन्यास के सृजन के उपरान्त व्यतीत अवधि जो भी अवधि कम हो, के दौरान हुई वास्तविक असल आय पर तथा किसी नव सृजित लोक प्रन्यास की दशा में, सम्मिलित स्त्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक सकल आय पर आधारित होनी चाहिये।

9. औसत वार्षिक व्यय जिसका अनुमान ऐसे व्यय पर जो उक्त अवधित के भीतर जिसका सम्बन्ध खण्ड 8 के अन्तर्गत दिये गये विवरणों से हैं किया गया हो तथा किसी नव सृजित लोक प्रन्यास की दशा में अनुमानित वार्षिक व्यय पर लगाया जाये।

(क). प्रन्यासी तथा प्रबन्धक के पारिश्रमिक पर – कुछ नही।

(ख). कर्मचारी वर्ग तथा सेवकों पर–पुजारी जो मंदिर का चढ़ावा व सामान भेंट दी जाती है। – कुछ नही।

(ग). धार्मिक उद्देश्यों पर – कुछ नहीं।

(घ). पुण्यार्थ उद्देश्यों पर – कुछ नहीं।

(ङ). विविध मदों पर – कुछ नहीं।

10. प्रभारों के विवरण यदि प्रन्यास की सम्पत्ति पर कोई प्रभार हो – कुछ नहीं।

11. प्रन्यास की सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वच्छ विलेखो है।

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग (stamp)

सत्यापित फोटो प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग

तथा प्रन्यास लेख (   ) यदि ऐसा लेख निष्पादित किया गया है तथा विद्यमान है, तो विवरण तथा उक्त प्रन्यासी का नाम जिसके कब्जे में वे हैं.मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली डूंगरा, ग्राम सौंख देहात जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)

12. प्रबन्धक या कार्यवाहक प्रन्यासी का पता जहां पत्रादि भेजे जायेंगे –
मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली डूंगरा, ग्राम सौंख देहात जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)

13. अभ्युक्तियां यदि कोई हो – कोई नहीं।

शुल्क साथ प्रस्तुत किया जाता है।

स्थान :– श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)

दिनांक :– 21.09.2021

Ravi

संस्थापक हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली डूंगरा, ग्राम सौंख देहात जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0) प्रमाणित करता हूं कि इस प्रपत्र 6 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 13 में जो तथ्य वर्णित किये है वह मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य दर्ज किये है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं है।

Ravi

संस्थापक हस्ताक्षर

1. संख्या दरख्वास्त 1596
2. तारीख दरख्वास्त 8.6.2022
3. तारीख तैयारी नकल 10.6.22
4. तारीख दी जाने नकल 14.6.22
तादाद फीस 6/-
दस्तखत नकल नवीस [signature]

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)

कार्यकारिणी की सूची

क्रम सं0	नाम	पद
1.	रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन	अध्यक्ष
2.	कु. भारती पुत्री श्री लखन सिंह	सचिव
3.	श्रीमती विमलेश पत्नि श्री कालीचरन	कोषाध्यक्ष
4.	प्रहलाद कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह	सदस्य
5.	प्रहलाद सिंह पुत्र श्री बाबूलाल	सदस्य
6.	निर्तेश कुमार पुत्र श्री देवी सिंह	सदस्य

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, भरतपुर

अध्यक्ष

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)

भरतपुर (राज.)

राजस्थान

Ex-3
22/3/22

1/23

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)

विधान

1. प्रन्यास का नाम :– श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)

2. प्रन्यास का मुख्यालय :– उक्त प्रन्यास का मुख्य कार्यालय– श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलौनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0) होगा तथा कार्य क्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।

3. प्रन्यास का उदगम :– उक्त प्रन्यास का उदगम भारत में विभिन्न प्रकार

की शैक्षणिक विद्यालयों की स्थापना करना, प्राणी मात्र की सेवा करना, चिकित्सा सुविधा, पर्यावरण संरक्षण व अन्य सेवाऐं ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार करने के लिए किया गया है।

4. प्रन्यास के उद्देश्य :–

1. शैक्षणिक उद्देश्य :–

1. सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाऐं एस.टी.सी., बी.एड. वाणिज्य प्रशासन में बी.बी.ए. व एम.सी.ए. को सेंज के लिये विधालय/महाविद्यालय चालू करना व संचालन की सभी व्यवस्थाऐं।

2. इंजीनियरिंग कॉलेज व तकनीकी महाविद्यालयों की स्थापना व संचालन करना वं इलेक्ट्रोनिक व विभिन्न टैक्नोलॉजी के शिक्षण–प्रशिक्षण के कोर्सेज के लिए संस्थान स्थापना व संचालन।

3. सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों के लिये नर्सिंग शिक्षण–प्रशिक्षण विद्यालय व कॉलेज खोलना/संचालन करना व फिजियोथेरेपी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था बनाना/संचालन करना।

4. मेधावी छात्रों के लिए आर्थिक सहायता व शोध कार्यों के लिये अध्ययन सामग्री उपलब्ध करना व विदेशों से भी आवश्यक साहित्य व उपकरण आयात करना।

5. सभी वर्गों के लिए कानूनी सहायता दिलाना, मानवाधिकार से सम्बन्धित मामलों के ज्ञान के कार्यक्रम चलाना व मदद करना/कराना।

6\. शिक्षित बेरोजगार व ग्रामीण युवकों के लिये अन्य संगठनों की सहायता व सहभागिता से कार्यक्रम सम्मेलनों व कार्यशालाओं का निर्माण व संचालन करना।

7\. विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाव के लिये समाज में जागरूकता पैदा करने के प्रयास करना व चिकित्सा निर्देशिकाओं का प्रकाशन व प्रसारण करना।

8\. संस्था परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार एवं नगर–निकाय द्वारा संचालित समस्त परियोजनों को लागू करने का प्रयास करेगी।

2\. न्यास (ट्रस्ट) के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय, उ.प्रा.विद्यालय माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर मा. विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, ज्योतिषीय संस्थान (कॉलेज), इंजीनियरिंग एवं मेडिकल महाविद्यालय, नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय, आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक,, यूनानी एक्यूपंचर इलेक्ट्रा पद्धति के महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की स्थापना एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, अनुसंधान कार्य करना उन्हें हर प्रकार की मदद देना, रूग्ण विद्यालयों, महाविद्यालयों का अधिग्रहण करना तथा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक तथा तकनीकी एवं गैर–तकनीकी स्टाफ को नौकरी पर रखना तथा उनका हटना।

1\. इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य उपेक्षित मानवता की सेवा करना एवं कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के साधन आदि मुहैया कराने के लिये प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना है।

उपरोक्त फोटो प्रतिलिपि

सहायक

विभाग,

2. संस्था परिवार कल्याण परियोजनाओं को लागू करने के लिये (अ) प्रस्वोत्तर केन्द्र (ब) नसबंदी कार्यक्रम (स) दूरबीन लेप्रोस्कोपी विधि, नसबंदी प्रशिक्षण और लेप्रोस्कोपी की आपूर्ति कार्यक्रम (द) गर्भ निरोधक साधनों को वितरण आदि कार्य करेगी।

3. संस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित समस्त परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास करेगी।

4. संस्था आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिये रसायन शाला व दवाओं के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करेगी।

5. संस्था मौसमी बीमारियों से बचाव के साधनों की जानकारी, रक्त जनित रोगों से बचाव के साधानों की जानकारी, क्षय, एड्स, मलेरिया, हैजा, थाईराईड, कैंसर, कोविड–19 जैसे रोगों से बचाव की जानकारी व आदतन नशा करने

प्रमाणित सही प्रतिलिपि

वाले लोगों को नशे से मुक्ति के लिये नशा निवारण हॉस्पिटल, परामर्श केन्द्र एवं उत्तरावृत्ति देखभाल केन्द्र की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

6. संस्था पंचायत मुख्यालयों पर रोगों के निदान के लिये आंखों के ऑपरेशन एवं वन्ध्याकरण केन्द्र व रोग निदान के लिये आवश्यक परीक्षण यथा एक्सरे, खून, पेशाव, मल आदि की जांच के कार्य निशुल्क करेगी।

7. संस्था वृद्ध अपाहिज एवं साधनहीन लोगों को निशुल्क चिकित्सा एवं चिकित्सकीय जांच व निशुल्क दवाईयों के वितरण की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी संस्था प्रस्वोत्तर सेवाओं को सुलभ कराने व जच्चा–बच्चा देखभाल के कार्यों को भी अपने हाथ में लेगी।

8. संस्था शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर की शिक्षा दिलाने के लिये

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, भरतपुर

शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करेगी।

9. संस्था प्रौढ महिलाओं/पुरूषों को शिक्षित कराने के लिये प्रौढ पाठशालाओं की व्यवस्था करेगी।

10. संस्था पुस्तकालयों/वाचनलयों की स्थापना कर उनका संचालन सम्बर्द्धन करेगी।

11. संस्था आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रतिभाशाली, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहान कर पुरस्कार देने तथा ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय यूनिफॉर्मस, पुस्तक, फीस तथा छात्रों के आवास के लिये छात्रावस आदि की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

12. संस्था शिक्षित छात्रों को टाईपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर, प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी तथा परीक्षाऐं आयोजित कर उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र जारी करेगी।

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
उपपंजीयक
विभाग, भरतपुर

13. संस्था राजकीय योजनांतर्गत जिला उद्योग केन्द्र के सहयोग से राजकीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न रोजगार प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करेगी।

14. संस्था एस.टी.सी., बी.एड, एम.एड, (कला वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में) डी. फार्मा एंव औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगी।

15. संस्था मैडीकल एवं पैरामैडीकल से संबंधित रोजगाररोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे मैडीकल रिप्रजेटेटिव, टैक्नीशियन मैनेजमेन्ट, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सोनोग्राफी टैक्नीशियन, एक्सरे टैक्नीशियन, लेबोरेटेरी टैक्नीशियन, ई. सी.जी टैक्नीशियन, फर्स्ट एण्ड उपचार, सैनेटरी एण्ड हैल्थ, इंस्पैक्टर, डेन्टल टैक्नीशियन, ऑपरेशन थियेटर सहायक, नर्स, दाई, फिजियोथिरेपी टैक्नीशियन आदि को संचालित करने के लिये प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

करेगी तथा संस्था स्वरोजगार हेतु स्वंय द्वारा विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर प्रशिक्षार्थियों को अपने स्तर पर परीक्षायें आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करेगी एवं अन्य संस्थानों को समबद्धता प्रदान करेगी।

16. संस्था लुप्त हो रहे लोक संगीत एवं लोकवाद्य यंत्रों के संरक्षण व लोक कलाओं के संरक्षण की व्यवस्था करेगी व इस हेतु संस्था संगीत विधालयों की व्यवस्था करेगी।

17. संस्था स्वरोजगार लगाने के इच्छुक लोगों को उद्योग केन्द्रों, उद्योग विभाग, खादी बोर्ड व खादी आयोग तथा ऐसे ही अन्य राजकीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों से सहायता सुविधा व तकनीकी जानकारी उपलब्ध कर बेरोजगार लोगों को रोजगार लगाने में मदद करेगी।

18. संस्था नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, जर्नलिज्म एण्ड इनफॉरमेशन, स्कूल मैनेजमेन्ट, मार्केटिंग एण्ड सेल्स

मैनेजमेन्ट लाईब्रेरी साइन्स एण्ड इनफार्मेशन, आर.एम.पी. चिकित्सक आदि रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण संस्था स्वंय द्वारा विकसित कर कोर्स संचालित करेगी। प्रशिक्षार्थियों को अपने स्तर पर परीक्षायें आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करेगी एवं अन्य संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करेगी।

19. संस्था राज्य एवं केन्द्र सरकार के वित्तीय संसाधनों से सरल प्रक्रिया व कम ब्याज पर शासन द्वारा घोषित सुविधाऐं सहित, ऋण एवं भूमि, स्वरोजगार लगाने के इच्छुक लोगों को उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी।

20. संस्था पिछड़ी जाति विकास परिषद, चर्म उद्योग विकास निगम लि., राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड एवं कपार्ट आदि संस्थानों से सहायता एवं सहयोग लेकर उनकी योजनाओं को लागू करने का प्रयास करेगी।

प्रमाणित सही प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, भरतपुर

मैनेजमेन्ट लाईब्रेरी साइन्स एण्ड इनफार्मेशन, आर.एम.पी. चिकित्सक आदि रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण संस्था स्वंय द्वारा विकसित कर कोर्स संचालित करेगी। प्रशिक्षार्थियों को अपने स्तर पर परीक्षायें आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करेगी एवं अन्य संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करेगी।

19. संस्था राज्य एवं केन्द्र सरकार के वित्तीय संसाधनों से सरल प्रक्रिया व कम ब्याज पर शासन द्वारा घोषित सुविधाऐं सहित, ऋण एवं भूमि, स्वरोजगार लगाने के इच्छुक लोगों को उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी।

20. संस्था पिछड़ी जाति विकास परिषद, चर्म उद्योग विकास निगम लि., राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड एवं कपार्ट आदि संस्थानों से सहायता एवं सहयोग लेकर उनकी योजनाओं को लागू करने का प्रयास करेगी।

प्रमाणित प्रति
सहायक कानून
[illegible] विभाग, भरतपुर

21. संस्था सामाजिक उत्थान के लिये समाज के निराश्रित बालकों, विधवाओं, कुपोषण के शिकार बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन के लिये निराश्रित बाल गृह, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पोषाहार, बालाहार, आंगनवाडी एवं बालावाडी, शिशु पालना गृह आदि स्थापित करने का प्रयास करेगी।

22. संस्था साधनहीन वृद्धों, विकलांगों कोढियों के लिये भोजन वस्त्र आवास प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन के लिये पुनर्वास, गृहों की व्यवस्था करेगी।

23. संस्था बंजर भूमि विकास, पर्यावरण सुधार एवं वृक्षावली प्लान्टेशन आदि के लिये वातावरण निर्माण एवं वृक्षारोपण से भूमि को उर्वरा शक्ति बनाये रखने के उपायों आदि के लिये राजस्व विभाग वन एवं पर्यावरण सुधार विभाग आदि की योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करेगी।

24. संस्था देश के भावी कर्णधारों (बच्चों / युवाओं) के सुगठित स्वास्थ्य निर्माण के लिये आदर्श खेल क्लबों की स्थापना करना खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, श्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन पुरस्कार देना एवं अन्य सुविधाऐं देने का कार्य करेगी।

25. संस्था नवोदित साहित्यकारों को साहित्य, मंच प्रदान करने के लिये साहित्यकार सम्मेलनों, कवि सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों का आयोजन करेगी इस हेतु रचनाकारों की रचनाओं के प्रकाशन प्रसारण की व्यवस्था कर साहित्यकारों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देने का कार्य करेगी।

26. संस्था राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार व प्रसार की व्यवस्था कर हिन्दी के विकास के लिये समर्पित व कार्यरत संस्थाओं, संगठनों, अकादमियों से सहयोग लेकर इस क्षेत्र में कार्य करेगी।

प्रमाणित सही प्रतिलिपि
उपपंजीयक
विभाग, भरतपुर

27. संस्था राष्ट्रीय महापुरूषों, जन नेताओं की प्रतिमा स्थापित कर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का कार्य करेगी।

28. संस्था राष्ट्रीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत संचालित योजना, परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास करेगी।

29. संस्था महिलाओं, हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, डेयरी उत्पादन, महिला जागरूकता शिविर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र, महिला मण्डल कार्यक्रम, वल विकास शिविर, कामकाजी महिलाओं के लिये आवासीय छात्रावसा, आयाओं के प्रशिक्षण केन्द्र, आयोजिका प्रशिक्षण केन्द्र आदि के संचालन के भी प्रयास करेगी।

30. संस्था पशु पालन द्वारा रोजगार पैदा करने के लिये उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन से रोजगार के साधन पैदा करने का प्रयास करेगी इस हेतु सूअर मालन, गाय, बकरी, भेड पालन,

भैंस पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मतस्य पालन आदि कार्यक्रमों के प्रशिक्षण एवं वित्त पोषण करने का प्रयास करेगी।

31. संस्था बेरोजगारों को मुद्रण एवं ऑफसेट मुद्रण तकनीकी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

32. संस्था आधुनिक विज्ञापन साधनों में डिजाईनिंग कार्यों के प्रशिक्षण व स्क्रीन प्रिंटिंग आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

33. संस्था समाज में व्याप्त कुरीतियों, व्यसनों, यथा मद्यपान, जुआ व सट्टा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज, छूआछूत आदि का अन्मूलन एवं बहिष्कार कराने के लिये विचार गोष्ठियों व जन सभाओं का आयोजन कर जन–जाग्रति पैदा करने का प्रयास करेगी।

34. संस्था विधवा विवाह सामूहिक विवाह अन्तर्जतीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिये इनका आयोजन कर समाज में व्याप्त अंध

विश्वासों व रूढियें को तोड़ने का प्रयास करेगी।

35. संस्था महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, अनुसूचित जातियों/जन जातियों पर होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध जनमत जाग्रति लाने का प्रयास करेगी, अत्याचार पीडित इन वर्गों को राहत देने के लिये विधिकीय सहायता चिकित्सकीय सहायता व आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेगी।

36. संस्था जनता की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाने के लिये जगह–जगह शिकायत कक्षों की स्थापना कर उनसे प्राप्त शिकायतों को शासन एवं प्रशासन के सहयोग से निराकरण कराने का प्रयास करेगी।

37. संस्था ग्रामीण बेरोजगारी को रोजगार के समाचारों को संकलित कर ऐसे उम्मीदवारों को घर बैठे सूचनाऐं उपलब्ध कराने का कार्य निशुल्क रूप से करेगी।

38. संस्था महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलंब्ध करने के लिये उन्हें मगौड़ी, पापड़ बनाने, मसाला पिसाई करने, सुपारी काटने, लिफाफा बनाने, जर्सी बुनने, रस्सी बंटने, मालये बनाने, आर्टीफिसियल ज्वैलरी बनाने आदि कार्य के प्रशिक्षण देकर महिलाओं को स्वरोजगार उन्मुख बनाने का प्रयास करेगी।

39. संस्था स्वंय द्वारा विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे फैशन डिजाइनिंग, टैक्सटाईल डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, पैटिंग, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी, इंटीरियर डेकोरेशन, कुकिंग टूरिज्म मैनेजमेंट, हॉस्पीटल मैनेजमेन्ट, होटल मैनेजमेंट, होटल एण्ड रेस्टोरेण्ट सर्विस, बेसिक एकाउन्ट्स, होम मैनेजमेंट, रिसेप्सनिस्ट, कार्यालय प्रबंधन, ऐयर होस्टेज, आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगी तथा प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षायें आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करेगी व स्वरोजगार को बढावा देने

के लिये राज्य भर में अन्य संस्थानों को स्वंय द्वारा विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने की सम्बद्धता प्रदान करेगी।

40. संस्था उपरोक्त प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत भविष्य में समयानुसार, संस्था स्वंय द्वारा विकसित अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निर्वहन करते हुये प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षायें आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करेगी एंव राज्य में अन्य संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करेगी।

41. संस्था गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को लाभान्वित करने के लिये राजकीय योजनाओं व आई.आर.डी में चयनित लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करेगी।

42. संस्था गरीब, असहाय, मरीजों के लिये ब्लड बैंक, सीमन बैंक, आई बैंक, हॉस्पिटल,

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, भरतपुर

आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक, यूनानी, फिजियोथैरेपी एण्ड प्राकृतिक चिकित्सा जैसे चिकित्सालयों को खोलने का प्रयास करेगी।

43. संस्था चिकित्सा के क्षेत्र में पैरामैडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथैरेपी कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, यूनानी कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा एवं कृषि विद्यालय महाविद्यालय खोलकर प्रेशिक्षण देने का कार्य करेगी।

44. संस्था नये व पुराने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गीरजघर आदि के संचालन सम्वर्धन का कार्य करेगी।

45. संस्था असहाय जीव–जन्तु, पशु–पक्षियों के खाने एवं रख–रखाव व उनकी चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सालय एवं पशु विद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने का प्रयास करेगी।

46. संस्था अपने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अलग–अलग कार्यों के अनुसार विधिवत कार्य

सम्पदंन हेतु समितियां व कमेटियों का अलग से गठन कर सकेगी।

47. संस्था उपरेक्त उदेश्ययें के अलाव भी अपने अन्य उदेश्य निर्धारित कर कार्यकर सकेगी।

नोट :– उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति में कोई लाभनिहित नहीं होगा।

5. प्रन्यास की प्रकृति :– उक्त प्रन्यास की प्रकृति पारिवारिक प्रन्यास की होगी।

6. प्रन्यास की वर्तमान में मौजूदा चल व अचल सम्पत्ति :–

(1). वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति उत्पन्न होने पर व रिकॉर्ड पर लायी जावेगी।

(2). भविष्य में प्रन्यास की सम्पत्ति उत्पन्न होने पर उसका प्रबन्धन प्रन्यास द्वारा किया जावेगा तथा उक्त कार्य के लिए प्रन्यास की कार्यकारिणी ही उत्तरदायी होगी। प्रन्यास की समस्त सम्पत्ति की सुरक्षा, देखरेख व व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य कार्यकारिणी का होगा।

7. प्रन्यास के ट्रस्टी :– प्रन्यास में वर्तमान में पांच प्रन्यासी है तथा

उक्त प्रन्यास में वंशानुगत प्रन्यासी सदस्य बनते रहेंगे तथा वर्तमान में जो प्रन्यासी है वह आजीवन प्रन्यास के प्रन्यासी रहेंगे।

8. प्रन्यास की सदस्यता :– प्रन्यास में वर्तमान में पांच सदस्य है तथा भविष्य में वंशानुगत व्यक्ति ही प्रन्यास का सदस्य बन सकेगा तथा उसे निम्न शर्ते पूर्ण करना आवश्यक होगा :–

(1). बालिग हो।

(2). पागल व दिवालियां न हो।

(3). प्रन्यास के उदेश्यों में रूचि व आस्था रखते हो।

(4). प्रन्यास के हितों को सर्वोपरी समझते हो।

9. सदस्यता से निश्कासन :– प्रन्यास के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

(1). मृत्यु होने पर।

(2). त्याग पत्र देने पर।

(3). प्रन्यास के उदेश्यों के विपरीत कार्य करने पर।

11. प्रन्यास की कार्यकारिणी का गठन :– प्रन्यास के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान में पांच प्रन्यासी है यदि भविष्य में अन्य कोई व्यक्ति प्रन्यास का सदस्य बनता है तो आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे :–

(1). अध्यक्ष–एक

(2). सचिव–एक

(3). कोषाध्यक्ष–एक

(4). सदस्य–दो

इस प्रकार कार्यकारिणी में पांच पदाधिकारी होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :– (1). प्रन्यास के संस्थापक व वर्तमान अध्यक्ष आजीवन प्रन्यास के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे तथा उनके जीवन काल में अध्यक्ष के पद का कोई चुनाव नहीं होगा तथा अन्य कार्यकारिणी के लिए संस्थापक व वर्तमान अध्यक्ष आवश्यक नियुक्ति करेंगे।

13. अंध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य :– 1.(1). साधारण सभा की अध्यक्षता करना।

1.(2). मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

1.(3). बैठके आहूत करना।

1.(4). संविदा तथा अन्य दस्तवेजों पर हस्ताक्षर करना।

1.(5). ट्रस्ट की आवश्यकता के अनुसार 10,00,000/–रुपये तक एक मुश्त खर्च करने का अधिकार प्राप्त होगा इससे

रखना, बिल वाउचरों को संभाल कर रखना।

2. वित्तीय वर्ष में एक बार कार्यकारिणी के समक्ष प्रन्यास का हिसाब पेश करना तथा वर्ष के अंत में आवश्यकता होने पर अधिकृत सी.ए से ऑडिट कराना, ऑडिट में कोई आक्षेप लगाये गये हो तो उन्हें पूरा कर कार्यकारिणी को अवगत कराना।

16. प्रन्यास का कोश :– प्रन्यास का कोष निम्न प्रकार संचित होगा :–

1. चन्दा / शुल्क / अनुदान / सहायता / राजकीय अनुदान

उक्त प्रकार से प्राप्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जावेगी तथा वर्तमान में एकल प्रन्यासी के हस्ताक्षर से बैंक खाता संचालित किया जावेगा तथा भविष्य में कार्यकारिणी की नियुक्ति होने पर अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से उपरोक्त बैंक से लेनदेन संभव होगा। कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव के हस्ताक्षर से लेनदेन किया जा सकेगा। उक्त हस्ताक्षरों में संस्थापक अध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

प्रन्यास के विधान में परिवर्तन :– प्रन्यास के विधान में आवश्यकतानुसार बहुमत के आधार पर परिवर्तन अथवा परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा परन्तु उसमें संस्थापक अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी।

19. प्रन्यास का विघटन :– यदि प्रन्यास का विघटन आवश्यक हुआ तो आनुवांशिक प्रन्यासियों के द्वारा राज्य सरकार व देवस्थान विभाग से स्वीकृति लेकर ही उपरोक्त प्रन्यास का विघटन किया जा सकता है।

आज दिनांक 16-09-21 को श्री राधे कृष्णा एंजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0) के उत्थान व विकास के लिए उपरोक्त विधान को आत्मसात करता है।

अध्यक्ष

Bharati

सचिव

कोषाध्यक्ष

श्रीमान सहायक आयुक्त महोदय,
देवस्थान विभाग खण्ड भरतपुर (राज0)

प्रपत्र संख्या 6 बाबत् पंजीयन

प्रनाम : श्री राधाकृष्ण एजूकेशनल ट्रस्ट, कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर

. प्रार्थना पत्र धारा 17 (2) राजस्थान प्रन्यास अधिनियम

शपथ पत्र

मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन आयु 44 साल निवासी पाली डूंगरा, ग्राम सौंख देहात, जिला मथुरा (उ.प्र.) हाल स्थाई निवासी कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर का हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि श्री राधाकृष्ण एजूकेशनल ट्रस्ट, कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पीटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर का मैं अध्यक्ष हूँ तथा मेरे द्वारा संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संस्था के पंजीयन हेतु अपने हस्ताक्षरित प्रपत्र संख्या 6 मय दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि संस्था के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ट्रस्ट का विधान, कार्यकारणी की सूची, मीटिंग रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये है।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाऐं चालू करना तथा उनके संचालन की सभी व्यवस्थाऐं करना, मानवता की सेवा करना, परिवार कल्याण योजना को लागू करवाना, आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना, वृद्ध, अपाहिज व साधनहीन लोगों के लिए चिकित्सा व दवाईओं की व्यवस्था करना इत्यादि करना। जिनका सम्पूर्ण विवरण विधान की धारा 4 में दिया गया है।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये गये है तथा उक्त प्रन्यास के पंजीयन बाबत को सच्या ज्योति दर्पण समाचार पत्र में दिनांक 25.10.2021 को नोटिस प्रकाशित कराया है जिसे पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया हैं। परन्तु निर्धारित समय अवधि में संस्था के पंजीयन बावत् कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी।
5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि विधान की पूर्ति व प्रन्यास के व्यवस्थित रूप से संचालन हेतु प्रन्यास का पंजीयन किया जाना आवश्यक है।

P-137
R-Dev

सत्यापन

मैं शपथ कर्ता अपने शपथ पत्र की मद संख्या 1 लगायत 5 को अपनी निजी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही एवं सत्य होना सत्यापित करता हूँ।

भरतपुर दिनांक :– 19-1-22

बयान गवाह

बइजलास कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर 'खण्ड भरतपुर'

जो मुकदमे में श्री [illegible] कॉलोनी, [illegible] नम्बर [illegible] सन् 2021

तारीख 22.3.2022 को लिखा गया है।

मै. हल्फ से (सौगन्ध से) से कहता हूँ कि मेरा नाम श्री [illegible] कुमार

पिता का नाम श्री कालीचरन कौम जाट उम्र 24

पेशा निजी सेवा निवासी [illegible] कॉलोनी भरतपुर

तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

का रहने वाला हूँ।

शपथ दिलाई गई

मैंने अपनी शपथ में अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर A to B मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा श्री राधेकृष्ण [illegible] ट्रस्ट के पंजीयन हेतु प्रपत्र संख्या 6 प्रस्तुत किया गया है जो प्रदर्श-1 है जिस पर A to B मेरे हस्ताक्षर है। वर्तमान में प्रन्यास के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है परन्तु 1 लाख रुपया नगद फण्ड है जो प्रन्यास के पंजीयन उपरान्त प्रन्यास के खाते में जमा करा दिया जायेगा। प्रन्यास के कार्यकारिणी की सूची प्रदर्श-2 है जिस पर A to B मेरे हस्ताक्षर है। प्रन्यास के संचालन हेतु प्रन्यास का विधान प्रस्तुत किया गया है जो प्रदर्श-3 है। प्रन्यास के उद्देश्य विधान की धारा 4 में दर्ज किये गये है विधान पर A to B मेरे हस्ताक्षर है। प्रन्यास के पंजीयन हेतु प्रन्यास की मीटिंग दिनांक 22.8.2021 तथा 30.8.2021 को की गई जिनकी फोटो प्रति पत्रावली पर पेश है जो प्रदर्श 4A व 5A है जिसका असल मैं आज में साथ लाया हूँ जो प्रदर्श 4 व 5 है। प्रन्यास के पंजीयन के नोटिस दैनिक समाचार पत्र [illegible] आदि में दिनांक 25.10.2021 को प्रकाशित किया गया जो प्रदर्श-6 है। नोटिस में दी गई म्याद के बाद भी प्रन्यास के पंजीयन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई। प्रन्यास के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा राज्य सरकार में कोई विवाद पेंडिंग नहीं है। असल मीटिंग रजिस्टर मैं आज साथ लेकर आया हूँ। प्रन्यास का संचालन हमारे द्वारा विधान के अनुसार किया जावेगा।

R.K. [illegible]

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, भरतपुर

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

ABZAS5210R

नाम / Name
SHRI RADHEY KRISHNA EDUCATIONAL
TRUST

05032023

निगमन / गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation
24/05/2022